न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 8/2018 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1. रामा पिता लालु मीणा निवासी महुडीखेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. उंकार पिता लालु मीणा निवासी महुडीखेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री एम.के. गोस्वामी वकील प्रार्थी
श्री एस.एम. माजिद वकील विपक्षी

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप मे पेश किया है किन्तु उसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की पुर्णसंभावना है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है।
2. खाता सं. 55 की आराजी नं. 4402 रकबा 0.4100 हैक्टेर, 4404 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, 4405 रकबा 0. 1100 हैक्टेयर 4437 रकबा 0.0100 हैक्टेयर 4438 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, 4440 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 4482 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 4535 रकबा 1.6300 हैक्टेयर, 4575 रकबा 0.3200 हैक्टैयर, 4579 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 4584 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, 4584/6342 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 4585 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 4586 रकबा 0.6900 हैक्टैयर, 4589 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 15 रकबा 5.1700 हैक्टेयर लगानी 83.82 रूप्या ग्राम बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा।
3. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के शामलाती खाते की होकर दर्ज रिकार्ड है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हक हिस्सा निहीत है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है।
4. उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर विधिवत रूप से बटवाडा नही किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा व अवैध निर्माण करवा रहा है तथा रकबे की कमी पैशी को लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के लडाई झगडा होता रहता है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के बिच हक हिस्से अनुसार विधिवत रूप से बंटवाडा किया जाकर प्रार्थी के नाम पृथक से दर्ज रिकार्ड फरमाया जाना आवश्यक है।
5. अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा व अवैध निर्माण कर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से महरूम करने की नियत से आये दिन लडाई झगडा एवं मारपीट करने पर आमदा होते है जिस कारण अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वह प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा व अवैध निर्माण न करे न करावे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से महरूम न करे न करावें।

6. अप्रार्थी को यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पुर्ति अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा अवैध निर्माण, विक्रय व हस्तान्तरण न करे न करावे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से महरूम न करे न करावे।

विपक्षी का जवाब इस प्रकार है कि–

1. प्रार्थी द्वारा उक्त उनवान का एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का आप अदालत में पेश करना मंजूर है लेकिन प्रार्थी द्वारा पेश दावा निश्चित ही खारीज होगा।
2. दरख्वास्त की कलम नम्बर दो में वर्णित आराजीयात का खसरा नम्बर और रकबा राजस्व रिकार्ड से मिलान किये जाने पर मंजूर है लेकिन उक्त आराजीयात वादग्रस्त नहीं है।
3. दरख्वास्त की कलम नम्बर 3 में दर्ज पक्षकारान का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना मंजूर है।
4. दरख्वास्त की कलम नम्बर 4 गलत होकर नामंजूर है। उक्त दरख्वास्त की कलम नम्बर दो मं वर्णित आरजीयात का पारीवारिक बंटवाड़ा प्रार्थी तथा विपक्षी नम्बर एक के वालिद लालू जी ने 25–30 साल पहले फोत होने के समय ही किया जा चुका है तथा उसी वक्त से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक अपने अपने हक हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं प्रार्थी ने अपने हक हिस्से में शौचालय बना रखा है तथा विपक्षी नम्बर एक ने अपने पिता के फौत के समय ही हुए पारीवारिक बंटवाड़े के अनुसार अपने हक हिस्से की आरजीयात पर कृषि उपयोग हेतु मकान बना रखा है जिसे बाद में पक्का बनाया है मौके पर वर्षो से प्रार्थी एवं विपक्षी नम्बर एक के हक हिस्से की आराजीयात पर पालियां पड़ी हुई है। दरख्वास्त की कलम नम्बर दो में वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से एवं मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित है।
5. दरख्वास्त की कलम नम्बर पांच गलत होकर नामंजूर है। प्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजीयात पर अपने वालीद लालू जी की फोत होने के समय हुए पारिवारिक बंटवाडे अनुसार ही काबीज है तथा विपक्षी को अपने हक हिस्से व कजे काश्त की आराजी का उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा हक एवं अधिकार है। विपक्षी नं. एक ने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात में 25–30 वर्षो से मेहनत करके खाद व मिट्टी डलबाई तथा लाखों रूपया खर्च करके उक्त आराजीयात को समतल बनाया तथा आज जब विपक्षी सं. 1 के कब्जे एवं हक हिस्से की आराजीयात प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जे से ज्यादा उपजाउ हो गई जिससे प्रार्थी के मन में बदनियती आने से प्रार्थी ने दरख्वास्त पेश की है। प्रार्थी विपक्षी नम्बर 1 को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है।
6. दरख्वास्त की कलम नम्बर 6 गलत होकर नामंजूर है। प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात का उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हुई न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

लिहाजा जवाब दरख्वास्त पेश कर ईल्तजा है कि प्रार्थी की दरख्वास्त मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना है।

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर विधिवत रूप से बटवाड़ा नही किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा व अवैध निर्माण करवा रहा है विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

पत्रावली के अवलोकर करने पर जाहिर हुआ है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर विधिवत रूप से बटवाड़ा नही किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा व अवैध निर्माण करवा रहा है विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.01.2018 के अनुसार विपक्षीगण मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 4402, 4404, 4405, 4437, 4438, 4440, 4482, 4535, 4575, 4579, 4584, 4584/6342, 4585, 4586, 4589 कुल किता 15 रकबा 5.1700 हैक्ट. भूमि के मौक की यथास्थिति बनाये रखे । इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:41 IST
Reason: SelfAttested